तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक प्रार्थी
श्री पवन सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 17.06.2022

निर्णय

यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण सं. 318 / 2001 में पारित निर्णय दिनांक 31–1–2004 के विरूद्ध नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इं.गां.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में कथन है कि चक 8 जे.एम. के मु.नं. 226 / 60 की 24.10 बीघा तथा मु.नं. 226 / 52 की 17.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि का प्रार्थी को आवंटन किया गया। प्रार्थी ने आवंटनशुदा भूमि की प्रथम किश्त के अलावा 3 और किश्तें जमा करा दी। इसके बाद प्रार्थी बीमार पड गया व अकाल पडने के कारण किश्ते जमा नहीं करवा सका जिसके कारण बिना प्रार्थी को नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर दिये बगैर उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ ने आदेश दिनांक 30–3–99 द्वारा बकाया राशि की किश्तें जमा नहीं करवाने के आधार पर रकबा रिज्यूम कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की। जिसके तहत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 31–1–2004 के द्वारा प्रार्थी के हक में आवंटित मु.नं. 226 / 52 की 17.10 बीघा भूमि का आवंटन यह कहकर बहाल कर दिया कि अधीनस्थ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रार्थी को बिना सुने पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है किन्तु मु.नं. 226 / 60 की 24.10 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त रख दिया और कहा कि अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट ओमप्रकाश को उक्त रकबा दिनांक 12–4–2001 को आवंटित किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के पक्ष में आवंटन दिनांक 3–2–81 को विचारण न्यायालय ने एकतरफा तौर पर बिना प्रार्थी को नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर अपने आदेश दिनांक 30–3–99 द्वारा किश्तों के अभाव में खारिज किया है जिसका प्रार्थी को कोई ज्ञान नहीं था। जबकि किश्तों के अभाव में पुख्ता आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विवादग्रस्त भूमि चक 8 जे.एम. के मु.नं. 226 / 60 की 24.10 बीघा भूमि का प्रार्थी के हक में किया गया आवंटन दिनांक 3–2–81 बहाल किया जावे व उस हद तक अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 31–1–2004 निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा आवंटन की किश्ते जमा नहीं कराये जाने से उसके आवंटन को खारिज किये जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तदुपरान्त मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित कर मु.नं. 226 / 440 की 24.10 बीघा भूमि का अप्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 232 / 2001 प्रस्तुत करने पर उक्त अपील दिनांक 20–11–2001 को खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मु. नं. 226 / 60 की 24.10 बीघा भूमि के संबंध में प्रार्थी को कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानते हुए प्रार्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर मु.नं. 226 / 52 की 17.10 बीघा भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश दिनांक 30–3–99 को निरस्त कर प्रार्थी को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। अंत में उन्होंने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 31–1–2004 के द्वारा प्रार्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ द्वारा मु.नं. 226 / 52 के 17.10 बीघा भूमि के संबंध में पारित आदेश दिनांक 30–3–99 को निरस्त करते हुए प्रकरण प्रार्थी को सुनकर निर्णय देने हेतु प्रतिप्रेषित किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि– ''8. जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विवादित भूमि में से मु0न0 226 / 60 के 24.10बीघा भूमि का आवंटन रेस्पो0 को विशेष आवंटन में दिनांक 12–4–01 को होने के पश्चात उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील पेश करने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20–11–01 को अपील खारिज की जा चुकी है उक्त तथ्यों से अपीलांट ने इन्कार नहीं किया है। इस न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 20–11–01 किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो ऐसा अपीलांट ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। इसलिए उक्त मु0न0 226 / 60 की 24–10बीघा भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट इस स्तर पर अनुतोष प्राप्त करने का का अधिकारी नहीं है।'' ''9. जहां तक शेष भूमि का प्रश्न है चूंकि अपीलकृत आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है एवं अपीलांट ने किश्तों की राशि जमा कराने का भी निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में उक्त 17–10 बीघा भूमि की सीमा तक प्रकरण रिमांड करना हम उचित मानते है।'' अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त अभिमत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पूर्णतया सहमत हैं एवं आक्षेपित निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि नहीं पाते, जिससे कि निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जावे। अतः यह निगरानी खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–1–2004 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	